

②

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं० सं०-7/आई० 5-1007/2014-

/पटना, दिनांक-

आदेश

श्री कृष्ण भगवान तिवारी, सेवानिवृत्त प्राक्कल पदाधिकारी -सह- सहायक अभियंता (यॉत्रिक) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3127 दिनांक-06.03.18 में सन्निहित प्रावधानों के आलोक में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इनके विभागीय परीक्षा में केवल दो बार ही सम्मिलित होने के कारण विभागीय परीक्षा से विमुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

ल०/

(संजीव कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/आई० 5-1007/2014-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(संजीव कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/आई० 5-1007/2014- 601

पटना/दिनांक- 03-06-2020

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विद्युत-सह-यॉत्रिक अंचल, पटना को उनके पत्रांक- 483 दिनांक- 11.08.14 के क्रम में / श्री कृष्ण भगवान तिवारी, सेवानिवृत्त प्राक्कल पदाधिकारी -सह- सहायक अभियंता (यॉत्रिक), नार्थ जय प्रकाश नगर (राजीव नगर), रोड नं०-3, पो०- आशियाना नगर, पटना-25 / आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

②

(संजीव कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव ।

②